

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती गोमाबाई पुत्री नाना पत्नी रामचन्द्र गमेती भील निवासी सांगवा पनवा हाल जूनावास तहसील घासा।

.....वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
2. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 29/25 (वाद) GCMS No. — 2025/61

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—
वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 277 पर दर्ज आराजी नम्बर 1619, 2533/1571, 2536/1619 किता 3 कुल रकबा 0.9551 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 1570, 1571 किता 2 कुल रकबा 0.4371 हेक्टेयर भूमि में वादीया का नाम गोमाबाई पत्नी नाना भील के बजाय गोमाबाई पुत्री नाना भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

